

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / गोपनीय / 2020 / 136

रीवा दिनांक 28/08/2020

अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन के आदेश पत्र क्रमांक एफ 770/2020/38-3 दिनांक 13.08.2020 के परिपालन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षायें ओपन बुक पद्धति से करवाये जाने के आदेश प्राप्त हुये हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों की उक्त परीक्षा के संचालन हेतु परीक्षार्थियों को प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैं।

कुलसचिव 28/8/20

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. महामहिम कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय, के सचिव राजभवन भोपाल (म.प्र.)
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
3. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.)
5. अतिरिक्त संचालक महोदय, उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा तथा शहडोल संभाग कोठी कम्पाउन्ड रीवा (म.प्र.)
6. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
7. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु उपलब्ध करायें।
8. प्राचार्य समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
9. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, देशबन्धु, स्टार समाचार, कार्यालय की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त जानकारी छात्रहित में अपने लोक प्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10. माननीय कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
11. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा विभाग)
12. स्वागत काउन्टर स्वागत पटल।

सहायक कुलसचिव (गोपनीय)

(1)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (गोप्र०)

ओपन बुक पद्धति के अवधारणा (2019-20)

उत्तर पृष्ठों के प्रश्न पृष्ठ का प्रारूप

(समरत कॉलम परीक्षार्थी द्वारा रखा रखा रोगा जाना आवश्यक हैं)

१	विश्वविद्यालय का नाम	उत्तर प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
२	महाविद्यालय का नाम	
३	कक्षा	
४	छात्र का रेटिंग (नियमित/स्वाध्यायी/एटीकेटी/भूतपूर्व)	
५	विषय	
६	प्रश्न-पत्र (सम्बन्धित खण्ड को टिक (<input checked="" type="checkbox"/>) करें।)	खण्ड अ/ब/स
७	प्रश्न-पत्र शीर्षक	
८	प्रश्न-पत्र कोड	
९	रोल नंबर (अनुक्रमांक): अंकों में शब्दों में	
१०	एनरोलमेंट नंबर (नामांकन क्रमांक)	
११	प्रश्न-पत्र का दिनांक	
१२	उत्तरपुस्तिका जमा करने का दिनांक	
१३	केन्द्र पर जमा की गई उत्तरपुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या अनिवार्यतः अधिकतम 16 पृष्ठों की होगी।	

परीक्षार्थी की घोषणा: उत्तरपुस्तिका के सभी उत्तर मेरी स्वयं की हस्तालिपि में हैं।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

संग्रहण केन्द्र का नाम एवं सील

विषय			परीक्षक द्वारा निम्न सारणी में प्राप्तांक अंकित किया जाय।						
खण्ड	पूर्णांक	प्रश्न क्रमांक	प्रश्नवार प्राप्तांक						कुल
			१	२	३	४	५	६	
अ									
ब									
स									
शब्दों में खण्ड (अ)									
खण्ड (ब)									
खण्ड (स)									

परीक्षक के हस्ताक्षर

29/01/2020 (2)

प्रश्न पत्रों की संरचना:

स्नातक अंतिम वर्ष के प्रत्येक विषय के लिये एक ही प्रश्न-पत्र का निर्माण होगा। जिसमें उस विषय के सभी दो अथवा तीन प्रश्न-पत्रों को अलग-अलग खण्डों के रूप में एक साथ तैयार किया जायेगा। प्रत्येक खण्ड उस विषय के एक प्रश्न पत्र के रूप में मान्य किया जायेगा। साथ ही उनका पृथक-पृथक पूर्णांक प्रत्येक खण्ड में अंकित किया जायेगा।

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी निर्देशः

1. प्रश्न-पत्र निर्माण करते समय अंकों की स्कीम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा अर्थात् प्रत्येक खण्ड के प्रश्नों के अंकों का निर्धारण पूर्णांक को ध्यान में रख कर किया जायेगा।
2. जिन पाठ्यक्रमों में किसी भी विषय में केवल एक पेपर होता है उसमें कुल पाँच प्रश्न पूछे जायेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।
3. जिन विषयों के 2 पेपर होते हैं उनमें खण्ड अ एवं खण्ड ब दोनों में ही तीन-तीन प्रश्न पूछे जायेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।
4. जिन विषयों में तीन पेपर होते हैं उनमें प्रश्न पत्र में अ, ब, एवं स खण्ड होंगे तथा प्रत्येक खण्ड में से दो-दो प्रश्न पूछे जायेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।
5. प्रश्न-पत्र का प्रारूप खण्डों में विभाजित होने की स्थिति में अ, ब एवं स के प्रत्येक खण्ड के लिए नवीन पृष्ठ से उत्तर लिखना प्रारंभ किया जाए अर्थात् अ खण्ड के उत्तर समाप्ति के उपरान्त खण्ड ब के लिए उत्तर नवीन पृष्ठ से लिखना प्रारंभ किया जाए एवं खण्ड स के उत्तर भी नवीन पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए ताकि परीक्षक को मूल्यांकन कार्य में असुविधा न हो।
6. स्नातक स्तरीय आधार पाठ्यक्रमों के प्रत्येक खण्ड के लिये तीन अलग-अलग उत्तर पुस्तिकायें प्रयोग में लायी जाएं।
7. स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के पूर्व में तैयार हो चुके प्रश्न-पत्रों में ही निर्देशानुसार आंशिक संशोधन कर विषयवार प्रश्न-पत्र खण्डवार एक साथ तैयार कराये जायें।

उत्तर पुस्तिका सम्बन्धी निर्देशः

1. छात्र द्वारा प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्याल के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया मुख्य पृष्ठ लगाना एवं उसमें प्रविष्टियाँ करना अनिवार्य होगा।
2. उत्तर पुस्तिका हेतु यथासंभव A4 Size के पेपर का प्रयोग किया जावे।
3. प्रत्येक उत्तर अधिकतम 400 शब्दों में दिया जाए। पृष्ठों की अधिकतम संख्या 16 पृष्ठ होगी।
4. विद्यार्थी को हर उत्तर पुस्तिका के साथ प्रथम पृष्ठ पर अपने प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करना होंगी।

29/8/2020 (3)

उत्तर पुस्तिका संग्रहण सम्बन्धी निर्देशः

1. उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाने हेतु प्रस्तावित है कि विद्यार्थी जिस जिले के किसी भी महाविद्यालय का परीक्षार्थी है वह उसी जिले के किसी भी संग्रहण केंद्र में अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करें अथवा डाक द्वारा उस जिले के अग्रणी महाविद्यालय को उत्तर पुस्तिका प्रेषित करें। जिले से बाहर किसी संग्रहण केंद्र में उत्तरपुस्तिका जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. परीक्षा समाप्ति के उपरांत अधिकतम दो दिवस में परीक्षार्थी अपनी लिखित उत्तर पुस्तिकाएं यथासंभव अपनी महाविद्यालय जिसमें उसने प्रवेश लिया है। अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा आवेदन पत्र भरा हो उसी महाविद्यालय में जमा करावे।
3. संग्रहण केंद्र तथा उत्तर पुस्तिकाएं एकत्रित करने एवं आगे भेजने की व्यवस्था हेतु केवल रकूल शिक्षा के अंतर्गत आने वाले संग्रहण केन्द्रों के लिए हैंडलिंग चार्जेस का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है।

A. प्रति उत्तर पुस्तिका	25 पैसे
B. न्यूनतम	रु0 100
C. यदि किसी संग्रहण केंद्र पर कोई भी उत्तर पुस्तिका जमा नहीं होती है तो न्यूनतम राशि (रु.100) प्रदान की जाये	
4. महाविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय अग्रेषण शुल्क एवं परीक्षा संचालन शुल्क की राशि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। इसी राशि में से संग्रहण कार्य में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय द्वारा किये गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। संग्रहण केंद्र द्वारा वाहनों के उपयोग पर किये गए व्यय का भुगतान निर्वाचन कार्य में कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा एतदर्थ मान्यदर पर देय होगा।
5. प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न शैक्षणिक एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ को परीक्षा संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर भुगतान किया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन के पूर्व ही समस्त अग्रणी प्राचार्यों को अप्रिम राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष (नियमित) तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (नियमित) के आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन लिए एक अवसर प्रदान करते हुए असाइनमेंट स्वीकार किया जाए। मूल्यांकन उपरान्त प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किये जायेंगे।
7. स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में जिन पाठ्यक्रमों/विषयों में लघु शोध प्रबंध/प्रोजेक्ट आवश्यक है ऐसे परीक्षार्थी लघु शोध प्रबंध/प्रोजेक्ट नजदीकी संग्रहण केंद्रों पर निर्धारित समय—सीमा में जमा करेंगे अथवा डाक द्वारा संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के कार्यालय के पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। अग्रणी महाविद्यालय प्राप्त सभी लघु शोध प्रबंध/प्रोजेक्ट को संबंधित विश्वविद्यालय/अग्रेषण केंद्रों को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालय/अग्रेषण केंद्र महाविद्यालय स्तर पर मूल्यांकन कराते हुये प्राप्तांक निर्धारित समय—सीमा में ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।

20/07/2020 (4)

मूल्यांकन सम्बन्धी डिजिटेशन

1. तीनों खण्डों या दोनों खण्डों को गणारिथति के अंक पृथक-पृथक पर्ण एवं प्रतिपर्ण में दिए जाएंगे।
2. जिन नियमित छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन शेष हैं, महाविद्यालय अपने स्तर पर एक अतिरिक्त अवसर देकर आंतरिक मूल्यांकन ऑनलाइन होम असाइनमेंट प्राप्त कर सम्पन्न करा सकते हैं।
3. स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर जिन विषयों में डिजर्टेशन आवश्यक हैं उन विषयों में ऑनलाइन डिजर्टेशन मगाए जाने अथवा ऑफलाइन डिजर्टेशन मगवाए जाने हेतु संबंधित महाविद्यालय/विभाग द्वारा अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे इसका मूल्यांकन संबंधित महाविद्यालय या विभाग द्वारा करवाया जावे। डिजर्टेशन एवं मौखिक परीक्षा (वायवा) के अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जावे।

3/18/2020
(5)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (मोप्र०)

ओपन बुक पद्धति से परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश

स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षायें ओपन बुक पद्धति से करवाये जाने के आदेश के परिपालन में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों की परीक्षा के संचालन हेतु परीक्षार्थियों को निम्नलिखित दिशा निर्देश होंगे।

- 1 परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र प्रातः 11 बजे उनके द्वारा SIS में दर्ज मेल आईडी अथवा वाट्सएप नम्बर पर भेजा जाएगा।
- 2 उक्त प्रश्न-पत्रों को परीक्षार्थियों द्वारा स्वयं डाउन लोड किया जाकर हल करना है इस हेतु उनको यथा सम्भव ए-4 साइज पेपर का उपयोग करना है जिनकी कुल संख्या 16 पेज की होगी।
- 3 उत्तर पुस्तिका हेतु पेपर की व्यवस्था परीक्षार्थियों को स्वयं करनी होगी।
- 4 उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न-पत्र के साथ संलग्न भेजा जायेगा। जिसे प्राप्त कर उन्हें उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के रूप में उपयोग करना होगा।
- 5 परीक्षार्थी द्वारा उक्त प्रारूप में दिये गये प्रत्येक खाने में चाही गई जानकारी अंकित करनी होगी तथा अपने हरताक्षर भी करने होंगे।
- 6 परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र को हल करने के लिये नीले एवं काली स्याही के बॉल पेन का उपयोग कर सकेंगे।
- 7 अगर परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ डाउनलोड करके उत्तर पुस्तिका में संलग्न नहीं की जाती है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।
- 8 परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र हल करने के लिये निर्धारित शब्द संख्या से अधिक न लिखें।
- 9 परीक्षा कार्यक्रम यथाशीघ्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर प्रकाशित किया जायेगा। जिसका परीक्षार्थी अवलोकन कर सकेंगे।
- 10 उत्तर पुस्तिका के संग्रहण कार्य में प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों का भुगतान अग्रणी महाविद्यालय द्वारा लोकसभा निर्वाचन में सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर परीक्षा संचालन हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त अग्रिम राशि से किया जायेगा।

27
28-8-2020 (6)